न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

तारीख रजू :– 14.06.2023

मु.नं.:– 29/2023

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

1. अम्बिका कंवर पुत्री देवेन्द्र सिंह
2. माधवी कंवर पुत्री देवेन्द्र सिंह
3. शैलेन्द्र सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह
4. शीला कंवर पत्नि देवेन्द्र सिंह

} समस्त जाति राजपूत निवासी जौल तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. धर्मसिंह पुत्र रघुवीर
2. नरेश पुत्र रघुवीर
3. बनैसिंह पुत्र रमसी

} समस्त जाति मीना निवासी बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली

4. नरेन्द्र सिंह पुत्र आनन्द सिंह
5. नागेन्द्र सिंह पुत्र आनन्द्र सिंह
6. योगेन्द्र सिंह पुत्र आनन्द्र सिंह

} सभी जाति राजपूत निवासी जौंल टोडाभीम जिला करौली

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रिसीवरी

उपस्थित :– 1 श्री हंसराम गुर्जर एडवोकेट प्रार्थी

2. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट अप्रार्थी नं. 1,2,3

3. श्री कृष्ण कुमार मित्तल एडवोकेट अप्रार्थी नं 4,5,6

निर्णय दिनांक– 12.02.2026

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 602 रकवा 0.32 है0 604 रकवा 1.48 है0 664 रकवा 0.78 है0 667 रकवा 1.11 है0, 668 रकवा 0.40 है0, 669 रकवा 0.12 है0, 670 रकवा 0.39 है0, 678 रकवा 0.78 है0, 679 रकवा 1.22 है0 कुल किता 9 कुल रकवा 6.60 है0, स्थित ग्राम विशनुपरा, तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0) में स्थित है। उक्त भूमि में सायलान हिस्सा 1/5 के खातेदार काश्तकार है। तथा बकिये हिस्से के गैरसायलान नम्बर 4 ता 6 खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का सायलान व गैरसायलान नम्बर 4 ता 6 ने आपसी सहमति से बहामी बॅटवारा कर रखा है। मुताबिक बहामी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

बँटवारा भूमि खसरा नम्बर 678 रकवा 0.78 है0 स्थित ग्राम विशनपुरा सायलान के कब्जे काश्त व हिस्से में आया है तथा सायलान खसरा नम्बर 678 रकवा 0.78 है0 पर ही बहामी बँटवारे के अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सायलान की भूमि से गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 व अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सरोकर किसी प्रकार का नही है। गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 का एक गिरोह है जो आये दिन गरीब लोगो की जमीनों पर कब्जा करते रहते हैं तथा लट्ठ के बल पर गरीब लोगों को गांव में परेशान करते रहते है, उसी क्रम में गैरसायलान संख्या 1 ता 3 सायलान को डरा धमका कर सायलान की भुमि को छीनना चाहते है। यदि गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं है।

वाका दिनांक 04.06.2023 को सुबह करीब 9 बजे का है कि सायलान अपनी भूमि खसरा नम्बर 678 रकवा 0.78 है0 स्थित ग्राम विशनपुरा की जुताई करने व सूल बबूल करने के लिये गये कि गैरसायलान 1 ता 3 हाथों में लाठी डण्डे लेकर आये और सायलान से कहा कि अब तुम इस भूमि पर आना छोड दो। हमारे लट्ठ में ताकत है तुम हमरा कुछ भी नहीं बिगाड सकते। हम इस भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे तथा तुम्हें काश्त नही करने देंगे। तथा तुमने जबरदस्ती काश्त करने की कोशिश की तो तुम्हे जान से खत्म कर देंगे तथा तुम्हारा नाम व निशान मिटा देंगे। सायलान ने गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 को काफी समझाया लेकिन ये लोग नहीं माने इसलि श्रीमानजी की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

सायलान का प्रामईफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायलान के पक्ष में है। रिसीवर नियुक्त होने से गैरसायालन को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जबकि रिसीवर नियुक्त नहीं होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ती किसी प्रकार दृव्य में भी संभव नही हो सकेगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खसरा नम्बर 678 रकवा 0.78 है0 स्थित ग्राम विशनपुरा के

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

संबंध में तहसीलदार टोडाभीम को रिसीवर नियुक्त किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 678 रकवा 0.78 है। स्थित ग्राम विशनपुरा को कुर्क कर कब्जे राज में लेवे तथा समुचित काश्त की व्यवस्था करवाते हुए आय व्यय का हिसाब रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, अप्रार्थीगण नं. 4,5,6 का जबाब देने से मना किया। जबाब बंद किया गया अप्रार्थीगण 1 ता 3 का जबाब में अधिकतर मद अस्वीकार किए विशेष विवरण में अप्रार्थी 1 ता 3 के अनुसार सायलान द्वारा समस्त मैटेरियल फैक्टस को छुपाते हुए दावा मय दरखास्त हाजा एकदम गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है तथा खारिज होने योग्य है। सायलान का आराजी विवादग्रस्त खं0नं0 678 रकवा 0.78 है0 या किसी भी रकवे पर कोई कब्जा काश्त नही है कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। खारिज होने योग्य है। आराजी खं0न0 678 रकवा 0.78 है0 ग्राम विशनपुरा तह0 टोडाभीम जिला करौली के लगवा खं0 नं0 680 रकवा 0.33 है0 में स्थित है जो गैरसायलान नं0 3 के कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर सायालान कब्जा करना चाहते है तथा गैरसायालन 1 ता 3 की आराजी को हडप करने की गरज से यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है।

विद्वान वकीलो की बहस सुनी उस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र रिसीवरी को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे ग्राम विशनपुरा के खसरा नम्बर 602 रकवा 0.32 है0 604 रकवा 1.48 है0 664 रकवा 0.78 है0 667 रकवा 1.11 है0, 668 रकवा 0.40 है0, 669 रकवा 0.12 है0, 670 रकवा 0.39 है0, 678 रकवा 0.78 है0, 679 रकवा 1.22 है0 कुल किता 9 कुल रकवा 6.60 है0 में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

पक्ष मे साबित है। अतः न्यायहित में प्रकरण की वस्तुस्थिति में प्रार्थना पत्र रिसीवरी स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष में सिद्ध होता है।

2- सुविधा का संतुलनः– पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नहीं होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्षकारण के पक्ष मे साबित होता है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** उक्त विवादित भूमि दोनों की सहखातेदारी दर्ज होने के कारण किसी एक पक्ष को दूसरे पक्ष के विरूद्ध निर्णय पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण को पूरणीय क्षति होने की संभावना है।

आदेश

ग्राम विशनपुरा के खसरा नम्बर 602 रकवा 0.32 है0 604 रकवा 1.48 है0 664 रकवा 0.78 है0 667 रकवा 1.11 है0, 668 रकवा 0.40 है0, 669 रकवा 0.12 है0, 670 रकवा 0.39 है0, 678 रकवा 0.78 है0, 679 रकवा 1.22 है0 कुल किता 9 कुल रकवा 6.60 है0 में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी दर्ज होने एवं अपने–अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत् रिसीवरी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया

(अमन चौधरी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली